वनाधिकार समिति

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) कानून 2006 लागू किया गया। इस कानून के तहत वन अधिकारों की पहचान और इस बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा के प्रबंधन में ग्रामसभा की भूमिका को खास महत्व दिया गया है। इस सभा में गांव के सभी लोगों व समुदायों खासकर महिलाओं की भागीदारी होगी। ग्रामसभा को यह अधिकार होगा कि आदिवासी एवं वनवासी समुदायों को उनके कब्जे वाली वनभूमि पर खेती करने का अधिकार एवं मालिकाना हक दिलाये। साथ ही सामुदायिक अधिकार तय करने का दायित्व भी ग्रामसभा को सौंपा गया है। इस कानून का खास मकसद आदिवासी व वनवासियों को अन्याय से मुक्ति दिलाकर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करना है।

ग्रामसभा को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करना जरूरी है एवं तय किये गये कामों को अमल में लाने के लिए सहयोगी ढांचे की भी जरूरत है ताकि कामों को समय सीमा में किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए वनाधिकार समिति का गठन किया गया है। वनाधिकार समिति समुदाय को वन अधिकार दिलाने के लिए ग्रामसभा को सहयोग करेगी।

खाद्य सुरक्षा, आजीविका, गरीबी और आर्थिक न्याय से सम्बंधित सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में वनाधिकार समिति की अहम भूमिका है। यह समिति गांव स्तर पर खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने हेतु ठोस कदम उठा सकती है।

वन अधिकार कानून में 2012 के संशोधन के बाद ग्रामसभा की धारा 5 के तहत नियम 4(1) के तहत सामुदायिक वन प्रबंधन व संरक्षण का अधिकार दिया गया है ताकि आदिवासियों और अन्य पारम्परिक वनवासियों के लिये यह स्थायी रूप से क्रियान्वित हो सके।

वनाधिकार समिति ही सर्वोच्च

वनाधिकार समिति ही सर्वोच्च है। वनाधिकार दावों को मान्यता देने की प्रक्रिया में ग्रामसभा को केवल वन अधिकार समिति ही मदद कर सकती है। वन अधिकार समिति के अलावा कोई ऐसी समिति, जिसमें ग्रामसभा के लोग न हों, कानून की धारा 4 (1 ई) के तहत सहायता नहीं कर सकती। ऐसी किसी भी समिति के फैसले को कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी।

समिति का गठन ...

वनाधिकार समिति का गठन ग्रामसभा द्वारा किया जायेगा। ग्राम सभा की बैठक में ग्रामसभा सदस्यों में से 10 से 15 सदस्यों को मिलाकर एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में –

- तीन सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे एवं तीन महिलाएं सदस्य होंगी।
- एक सदस्य अन्य पारंपरिक वन निवासी होगा।
- जिन गांवों में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास नहीं करते हैं वहां कम से कम तीन सदस्य अन्य परंपरागत वन निवासी एवं तीन महिला सदस्य होगी।
- समिति के गठन की जानकारी उपखंड स्तरीय समिति को दी जायेगी।
- ग्रामसभा 15 से अधिक सदस्यों का चयन भी समिति के लिए कर सकती है।

वनाधिकार समिति के काम

वनाधिकार समिति ग्रामसभा के कामों में सहयोग करेगी –

- समिति ग्रामसभा की बैठकों में वनाधिकार के मुद्दों पर चर्चा एवं जानकारी देगी।
- निर्धारित प्रारूप में दावों को प्राप्त करेगी व पावती देगी साथ ही दावों के समर्थन में साक्ष्य जुटायेगी।
- सरकारी पदाधिकारियों शिक्षक, पटवारी, वनकर्मी व अन्य ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं से मदद लेगी।
- वनाधिकार नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दावों का सत्यापन करेगी।
- समिति जैसा उचित समझे किसी प्राधिकारी, अभिकरण, व्यक्ति से साक्ष्य या समर्थन की मांग करेगी।
- मानचित्रों सहित दावों और साक्ष्य के अभिलेख तैयार करेगी।
- वन अधिकारों के दावेदारों की सूची तैयार करेगी।
- प्राप्त दावों के स्वरूप एवं विस्तार पर ग्रामसभा के समक्ष निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी।

दावों के सत्यापन की प्रक्रिया

- संबंधित दावेदार को समय से सूचना के बाद स्थल का दौरा करेगी एवं दावे के स्वरूप (व्यक्तिगत या सामुदायिक) एवं विस्तार तथा स्थल के साक्ष्य का सत्यापन करेगी।
- इसके अलावा अन्य साक्ष्य या अभिलेख प्राप्त करेगी या दावेदार और गवाहों का साक्ष्य मौखिक रूप से प्राप्त करेगी।
- वनाधिकार समिति किसी प्राधिकारी से साक्ष्य की मांग कर सकती है जो आवश्यक हो।
- समिति दावे पर अपने निष्कर्ष लिखेगी और फैसले के ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
- यदि किसी अन्य गांव की परंपरागत या रूढ़िगत सीमाओं के भीतर परस्पर विरोधी दावे हैं जो एक से अधिक ग्रामसभाओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है तो संबंधित ग्रामसभाओं की वनाधिकार समिति संयुक्त रूप से बैठक करके दावों के लाभ के स्वरूप के बारे में करार करेगी और इस करार को लिखित रूप में संबंधित ग्रामसभा के समक्ष रखा जायेगा।
- ग्रामसभा या वनाधिकार समिति की जानकारी, अभिलेखों या दस्तावेजों के लिए लिखित अनुरोध पर राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (सभी स्तरों पर) उन्हें वन अधिकार समिति या ग्रामसभा को प्रदान करेगें। आवश्यकता के अनुसार उसे इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से स्पष्ट करेगें।
- वन अधिकार समिति द्वारा एक मानचित्र संबंधित राजस्व और वन प्राधिकारियों के साथ मिलकर बनाया और सत्यापित किया जायेगा। इसमे पहचान योग्य पहचान चिन्हों को दर्शाते हुए प्रत्येक संस्तुत दावे के क्षेत्र को अलग से दर्शाया जायेगा।

वन संसाधनों पर सामुदायिक अधिकारों का मतलब क्या है?

- गांव से बाहर निकलने का रास्ता खोजना।
- गांव के मवेशियों, पशुओं के लिए चरनोई की जमीन के लिए।
- गांव के रहवासी समुदाय और पशुओं के लिए पानी का स्रोत तलाशने में।
- वह स्थान या गांव के पारंपरिक दायरे का जंगल, जहां से लघु वनोपज मिलते हों।
- जंगल का वह क्षेत्र जहां आदिवासी समुदाय अपनी मान्यताओं, रुढ़िवादी विश्वास के लिए पूजा करने जाते हों।
- जंगल का वह क्षेत्र जहां से जड़ी बूटी और रोजमर्रा के उपयोग की सामग्री मिलती है।

वनाधिकार समिति को कैसे प्रभावी बनायें

वनाधिकार समिति वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को वन का हक दिलाने वाली महत्वपूर्ण समिति है। इस समिति का प्रभावी रूप से काम करना बेहद जरूरी है ताकि वनवासी समुदायों को उनका पारंपरिक अधिकार सुनिश्चित हो सके।

- हमें यह देखना होगा कि वनाधिकार समिति की निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार काम करे। समिति के सभी सदस्यों को वनाधिकार कानून के बारे में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायें।
- समिति के सदस्यों से वनाधिकार एवं लोगों के हकों के बारे में चर्चा करें तथा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।
- समिति की बैठकों को बनायी गयी व्यवस्था के अनुसार नियमित रूप से करना निश्चित करें। यह पता करें कि समिति की सक्रियता से कितने परिवारों को वन का हक मिला है, इस पर समिति में चर्चा करायें ताकि समिति सदस्यों को उनके काम का प्रतिफल मिल सके।
- समिति की बैठकों को सार्थक बनाने के लिए पूर्व तैयारी करें एवं समिति बैठक की प्रक्रिया को क्रमबद्ध ढंग से करें। बैठक की सूचना सभी सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व सुनिश्चित करें एवं सूचना के साथ ही यह भी बतायें की बैठक में क्या बातचीत होना है।
- बैठक के प्रारंभ होने पर सबसे पहले बैठक के एजेंडे का क्रम निश्चित करें एवं अन्य चर्चा के विषयों को जरूरत अनुसार जोड़ें। चर्चा के क्रम में सबसे पहले उन निर्णयों पर चर्चा कर ली जाये जो पिछली बैठक में लिए गये थे। यदि कोई कार्य पूरा नही हुआ है तो उसके कारणों पर चर्चा करते हुए पुनः उस पर निर्णय लिया जाये।
- इसके पश्चात सभी एजेंडे पर क्रम से चर्चा हो एवं निर्णय लिये जाएं।
- अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों खासकर महिला सदस्यों को चर्चा में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाये। हर निर्णय को लागू करने के लिए समय एवं जिम्मेदारियां भी निश्चित की जाएं।
- अंत में एक बार लिये गये निर्णयों को सबको पढ़कर सुनाया जाये। सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद अध्यक्ष द्वारा सबको धन्यवाद देकर बैठक की समाप्ति की घोषणा की जाये।
- सभी उपस्थित सदस्यों के उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर लिए जाएं।

VIKAS SAMVAD

विकास संवाद, ई-7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने, अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल. मध्यप्रदेश. भारत
फोन – 0755-4252789 / vikassamvad@gmail.com

इस अध्ययन सामग्री को सक्षिप्त एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है। अधिक स्पष्टता या जानकारी हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) कानून 2006 की मूल प्रति एवं विभागीय निर्देश देखें।